



सप्तदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-08.11.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री महबूब आलम,
स0वि0स0
श्री सत्यदेव राम,
स0वि0स0
श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
स0वि0स0
श्री धूदेव चौधरी,
स0वि0स0
श्री संजय कुमार गुप्ता,
स0वि0स0
श्री अरुण सिंह,
स0वि0स0
- “भारत का सर्विधान फैरीवालों तथा आम व्यक्ति को नगर विकास फुटपाथों पर व्यापार करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। एवं आवास भारतीय सर्विधान के अनुच्छेद 19 (1)(6) के अधीन आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को फुटपाथ पर व्यवसाय करने से कोई रोक नहीं सकता। उसे इस अधिकार से यह कहकर बच्चित नहीं किया जा सकता कि फुटपाथ केवल आवागमन के लिए काम में लाया जा सकता है।
- केन्द्र तथा बिहार सरकार ने स्ट्रीट भेण्डर (प्रोटेक्शन ऑफ लाईबलीहुड एण्ड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट भेण्डिंग), 2014 तथा विहार फुटपाथ विक्रेता अधिनियम बनाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना अन्तर्गत उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके बावजूद बिहार की राजधानी पटना तथा प्रदेश के अन्य नगरों एवं नगर पंचायतों के फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़कर उनके लाखों का सामान लूटने तथा संसाधनों को बुलडोजर से चकनाचूर कर देने का अभियान चला रखा है।

अतः फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के अभियान पर रोक लगाने तथा उपरोक्त संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नगर निकाय के कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

२. श्री राकेश कुमार रौशन,

स०विंस०

श्री कुमार कृष्ण मोहन
उर्फ सुदय यादव,

स०विंस०

श्री राम विशुन सिंह,
स०विंस०

श्री राहुल तिवारी,
स०विंस०

श्री राज कुमार सिंह,
स०विंस०

श्री कृष्णामुखरी शरण
उर्फ प्रेम मुखिया,

स०विंस०

श्री प्रकाश बीर,
स०विंस०

"बिहार में करीब एक वर्ष पूर्व शहरी निकायों के नगर विकास अंतर्गत मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का जनता के द्वारा सीधा निर्वाचन हुआ है, लेकिन उप मेयर और उप मुख्य पार्षद को कोई अधिकार नहीं मिला है। नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार पूर्व में सीधे जनता से बाई पार्षद निर्वाचित होते थे और निर्वाची प्रतिनिधि ही नगर निकायों में संचालनिक पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे, लेकिन सीधा चुनाव होने के कारण नगर निकायों में सभी मतदाताओं के विकास की जिम्मेवारी इन लोगों का भी है लेकिन अधिकार नहीं रहने के कारण ये जनता के नजर में नाकारा साबित हो रहे हैं।"

अतः नवी परिस्थिति में उप मेयर और उप मुख्य पार्षद को भी अधिकार दिया जाय जिससे कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सके, इस ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

राज कुमार

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

नवम्बर, 2023 ई०।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023- ५०१९

/ विंस०, पटना, दिनांक-

७

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023- ५०१९

/ विंस०, पटना, दिनांक-

७

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023- ५०१९

/ विंस०, पटना, दिनांक-

७

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/2023- ५०१९

/ विंस०, पटना, दिनांक-

७

नवम्बर, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप सचिव / सचिव के प्रधान आप सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।